तारीख हुक्म	राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व विविध सं. 36/2014 ब्झॅल्झल वगैरा बनामः शेंरलाल वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 27.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र लापोद में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति एवं साक्ष्य–दस्तावेजात पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा पिचावा पटवार सर्कल लापोद तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 259, 261, 278 कुल रकबा 3.80 हेक्टर किस्म सेवज दोयम एवं सरहद मौजा पावा पटवार सर्कल पावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1001 रकबा 2.59 हेक्टर किस्म सेवज अव्वल के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 50/2014 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पिचावा पटवार सर्कल लापोद तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 259, 261, 278 कुल रकबा 3.80 हेक्टर किस्म सेवज दोयम एवं सरहद मौजा पावा पटवार सर्कल पावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1001 रकबा 2.59 हेक्टर किस्म सेवज अव्वल के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 50/2014 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज दिनांक 16.06.2017 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो व संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 50/2017 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी